भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1171
उत्तर देने की तारीख : **23** मार्च, 2012

मिड-डे मील योजना से संबंधित मुद्दों का समाधान

1171. श्री अनिल माधव दवे:
श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिड-डे-मील योजना से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, समीक्षा समितियां, टेलीफोन हेल्पलाइंस, कॉल सेंटर्स और शिकायत पेटियां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, समीक्षा समितियां, टेलीफोन हेल्पलाइंस, कॉल सेंटर्स और शिकायत पेटियां विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ0 डी. पुरंदेश्वरी)

(क) से (ड.): जून, 2010 में टोल फ्री नंबर/समर्पित टेलीफोन नंबर अथवा पत्रों के माध्यम से शिकायतें पंजीकृत करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देशी सिद्धांत जारी किए गए थे। 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना कर ली है और वे इन दिशानिर्देशी सिद्धांतों के अनुसार शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। ऐसी प्राप्त शिकायतों से संबंधित आंकड़े और शिकायत निवारण तंत्र के जरिए किए गए समाधान से संबंधित आंकड़े राज्यों द्वारा रखे जाते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार के ध्यान में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में दुष्प्रथा के संबंध में लाई गई किसी शिकायत को जांच तथा समुचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। वर्ष 2011 के दौरान मंत्रालय द्वारा भोजन की खराब गुणवत्ता (9), भ्रष्टाचार (9) और अनियमितताओं (16) जैसी विभिन्न अनियमितताओं की 34 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेजा गया है। उन्होंने 34 में से 29 शिकायतों पर कार्रवाई कर ली है जिनमें स्कूल के संबद्ध प्राचार्य को स्थानांतरित करना, ग्राम प्रधान से राशि वसूल करना, चूककर्ता व्यक्तियों को निलंबित करना और उनके विरूद्ध अनुशासानिक कार्रवाई आरंभ करना शामिल है।